

संख्या- 830 / 111(2) / 08-29(प्र0आ0) / 0

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

जयपुर/प्रतिनिधि/प्र.का
मु.का.0 स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

प्रीती बिजु
25/03/08

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान(एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत 48 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची के अनुसार उपलब्ध कराये 48(अड़तालीस) कार्यों के लागत कुल रुपये 10656.15 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रुपये 9901.21 लाख (रुपये निम्नानवे करोड एक लाख इक्कई स हजार मात्र) की धनराशि की उनके सम्मुख कॉलम-5 पर अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कॉलम-6 में अंकित विवरणानुसार कुल रु0 4.80 लाख (रु0 बीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
- एकमुश्त प्राविधिक को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भौति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी आवश्यकताएं पूर्ण कर ली जानें, जिनके बिना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाय।

12. यदि उक्त कार्य में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य राक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेंडर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेंडर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बातों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।
14. आगामी किस्ता तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्ता अवमुक्त की जायेगी।
15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
16. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किन्ही अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।
17. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के अन्य व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-30 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिवर्धन-04 जिला तथा अन्य सड़क-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्थल कम्पानेंट प्लान-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
18. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-362/XXVII(2)/2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहे हैं। संलग्नक:- 48 कार्यों की सूची।

भवदीय,
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या- (1)/111(2)/08-29(प्राआ0)/07, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोर्टर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/भैरताल।
3. समस्त संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमाऊं क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग-1/उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

165
17

द्वारा

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

संख्या- 10371/20 शासनादेश/08

दिनांक- 25/3/08

प्रति- मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता
ब. ल. लो. नि. वि.
देहरादून (टि. ग. 0)

25/03/08

भारतीय बजट से
को रही प्रभावित

शासनादेश संख्या- 830 / 111(2)/08-29(प्र.आ.) / 07, दिनांक 24 मार्च, 2008 को संलग्नक ।

(धनराशि लाख रु० में)

क. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	लागत (लाख रु०) में	टी०ए०सी० वित्त द्वारा आंकलित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2007-08 का धनराशि स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	चमोली में वि०ख० घाट के अन्तर्गत जोखना लगा बुरा तक मोटर मार्ग निर्माण	7.00 + 1 सेतु	233.33	233.33	0.10
2.	चमोली में वि०ख० घाट के अन्तर्गत ग्राम प्राणमती तक मोटर मार्ग निर्माण	10.00	270.80	270.80	0.10
3.	चमोली में वि०ख० कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली बुलाकोट बेनीताल मोटर मार्ग के किमी० 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	81.24	81.24	0.10
4.	कफड़ा छब्रीस ह०वा० मोटर मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन तथा पुनः निर्माण तथा सुधार कार्य	3.00	77.40	77.40	0.10
5.	पोड़ी में रा०इ०का० ओजली (खड्ग सेण) से ग्राम ब्राह्मण कफलना तक मोटर मार्ग निर्माण	4.00	85.40	85.40	0.10
6.	पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मदनपुर नैनी मोटर मार्ग एवं मोटर सेतु की नई दरों पर अवरोध कार्यों का निर्माण।		75.70	75.70	0.10
7.	अल्मोड़ा में नौला-रैखलघार (मटेला) मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	117.00	117.00	0.10
8.	अल्मोड़ा में दन्या-बेलक-दियारखोली मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	182.79	182.79	0.10
9.	पिथौरागढ़ में सातसिलिंग-थल मोटर मार्ग से रिण तक मोटर मार्ग का निर्माण (2.00 किमी०) एवं दो पुल।		136.40	136.40	0.10
10.	अल्मोड़ा में नौला-र्योतरा-गहरनेल मोटर मार्ग का स्पेशल कम्पेनेन्ट प्लास के अन्तर्गत नव निर्माण	10.00	233.00	233.00	0.10
11.	अल्मोड़ा में वि०ख० लममंडा के अन्तर्गत दौरा-रतखान मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार का कार्य	2.00	35.00	35.00	0.10
12.	जनपद बागेश्वर में ग्राम थकलाड के पास गोमती नदी में 54 मी० विस्तार स्टील गर्डर मोटर सेतु एवं फटगली-थकलाड-विलेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य	10.00	617.40	610.40	0.10
13.	अल्मोड़ा में सिरोनिया से डालाकोट-नगरखान ग्राम हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण	5.00	130.56	130.56	0.10
14.	जनपद अल्मोड़ा में टाट बैंड डैली, नौरा, बल्मा, बडुयुड़ा, टाना मटेना मोटर मार्ग के निर्माण		442.00	442.00	0.10
15.	कापड़खाल (चौड़ मो० से मरोड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण)	5.00	86.25	86.25	0.10
16.	नैनीताल में प्रगराडी से पोखरी मोटर रोड का निर्माण	3.00	64.20	64.20	0.10
17.	जनपद नैनीताल में सुरमाने बैंड से मल्ला गहना मोटर रोड का निर्माण	3.00	64.20	64.20	0.10
18.	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड पुरोला में भधराली पुल (सरनील) से सरबडियार हेतु मोटर मार्ग के निर्माण	12.00	296.88	296.88	0.10

प्रमुख अधिकारी
मुख्य अभियंता
राज्य परिवहन विभाग
लखनऊ

19.	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरला में बर्नीगाड़ से बने वन विभाग के मार्ग में स्थित गवसरा से कमरगढ़ी छेड़ा-कामरा मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित (वन विभाग के मार्ग को छोड़कर)	10.00	604.68	279.93	
20.	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकास खण्ड पाचों के अन्तर्गत चौपड़ियू-कुलमोर-स्वीकृत मोटर मार्ग निर्माण	12 भी० एवं 18 भी०	33.90	33.90	0.10
21.	जनपद कोल्लू बैंड से मकलोड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.50	25.87	25.87	0.10
22.	जनपद रुद्रप्रयाग में जखोली ब्लाक के अन्तर्गत छेनागाड़ बक्सीर मोटर मार्ग के नव निर्माण	10.00	168.00	168.00	0.10
23.	विकास खण्ड कोट के ग्राम कटुड़ की हरिजन बस्ती को पौड़ी देवप्रयाग से जोड़ने के लिये मोटर मार्ग का नव निर्माण	6.00	129.70	129.70	0.10
24.	जनपद चमोली में कुहेड़-मैठाणा-पलेठी हल्का वाहन मार्ग से ग्राम मधरपाल, नैथोली (अनु० जाति) तक मोटर मार्ग निर्माण		814.00	813.70	0.10
25.	बज्जण से नकोट भदी, गड़थ अन्य पिछड़ा ग्राम तक मोटर मार्ग निर्माण	2.50	52.72	52.72	0.10
26.	अल्मोड़ा में वि०ख० लमगड़ा के अन्तर्गत विश्वनाथ-जराकोट ह०वा० मोटर मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन/पुनः निर्माण/सुधार का कार्य	8.00	77.40	64.50	0.10
27.	पिथौरागढ़ में राईआगर सेलीपाख मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	187.11	124.60	0.10
28.	जौनपुर ब्लाक में बड़ैथी-वनचौरा-बद्रीगढ़ मोटर मार्ग से ग्राम डडिया गाँव तक सफाई मार्ग का निर्माण	2.00	32.40	32.40	0.10
29.	चमोली में बगौली से स्याब-विसेनपुर मोटर मार्ग एवं पिण्डर नदी के ऊपर लोहे सेतु का निर्माण	6.00+80 भी० सेतु	397.20	397.20	0.10
30.	वि०ख० नारायणबगड़ में सुनाली-दशोलीखाल भटियाणा मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य	15.00	213.00	213.00	0.10
31.	वि०ख० मोरी में टिकोली मोटर पुल से जागटा तक मोटर मार्ग का निर्माण	10.00	237.10	237.10	0.10
32.	जौनपुर ब्लाक में औरकट के मोटर मार्ग पर स्थित भरवकोटल से श्रीपुर 5.00 किमी० के मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	135.00	135.00	0.10
33.	खण्डाह-गिरगाँव मोटर मार्ग का मैठाणा गाँव तक विस्तार	3.00	144.90	51.75	0.10
34.	पौड़ी में खण्डाह-गिरगाँव मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	6.00	121.50	121.50	0.10
35.	पौड़ी में दिगोली से अम्बेडकर ग्राम मरगुण तक मोटर मार्ग के अवशेष भाग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	3.59	66.42	66.42	0.10
36.	पौड़ी में खण्डाह-बछेली-खोला ह०वा० मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित कर पक्कीकरण का कार्य एवं ग्राम खोला तक मोटर मार्ग का विस्तार	9.00	97.50	97.50	0.10
37.	पौड़ी में उमरासू-धिण्डगडा-नकोट-अम्बेडकर ग्राम मकलोड़ी मोटर मार्ग का निर्माण	29.09	516.00	516.00	0.10
38.	पौड़ी में चमेला कटाखोली ग्वाड़ पयापानी तक	8.00	170.80	170.80	0.10

नवायक आभयन्ता
ब० खण्ड लो० नि० वि०
पुनः (वि० ख०)